झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– वि0प्रा0/कौ0 –15/2024 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, राँची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– जिला विज्ञान केन्द्र, दुमका के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू0 11,40,24,000/– (रू0 ग्यारह करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य में विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत राज्य के 08 जिलों यथा – लोहरदग्गा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका एवं पलामू में जिला विज्ञान केन्द्रों को नये सिरे से विकसित किया जाना है। इन जिला विज्ञान केन्द्रों में विज्ञान के सिद्धांतों को विभिन्न वैज्ञानिक प्रदर्शो/उपकरणों के माध्यम से अत्यन्त ही सरल ढंग से समझाया जायेगा, जिससे छात्र–छात्राओं को अपने वैज्ञानिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग करने एवं वैज्ञानिक सोच बढ़ाने में सहायक होगा। उक्त विज्ञान केन्द्रों को दो भागों में विकसित किया जायेगा – क. असैनिक कार्य, ख. वैज्ञानिक प्रदर्शो के अधिष्ठापन का कार्य।

दिनांक 27.09.2023 को झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के कार्यकारणी समिति की बैठक में जिला विज्ञान केन्द्रों के असैनिक कार्य किसी निर्माण एजेन्सी/झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से तथा वैज्ञानिक प्रदर्शों के अधिष्ठापन का कार्य राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM) कोलकाता से कराने के विन्दु पर स्वीकृति दी गयी है। उक्त के क्रम में परिषद् का पत्रांक 245 दिनांक 07.11.2023 द्वारा जिला विज्ञान केन्द्र, दुमका जो राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका के परिसर में अवस्थित तारामंडल के लिए चिन्हित भूमि पर स्थापित किया जाना है, के असैनिक कार्य संबंधी JSBCCL से कराने हेतु DPR उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया।

तत्पश्चात् कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1222 (नि0) दिनांक 06.06.2024 द्वारा जिला विज्ञान केन्द्र, दुमका को विकसित करने हेतु तकनीकी अनुमोदन Estimate No. 554/T.A/H.E./JSBCCL/2024-25, Page No. 247 दिनांक 30.05.2024 के साथ कुल प्राक्कलित राशि रू0 11,40,24,000/– (रू0 ग्यारह करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार) मात्र का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है –

क्र0	अवयव के नाम	राशि
1	Main Building	4,04,85,807.00
2	Toilet Block	29,37,916.00
3	Ticket Counter with Guard Shed	15,93,267.00
4	Dismantling of Existing building	6,13,091.00
5a	Road with Path way and parking with leveling	1,87,55,875.00
5b	Internal Boundary Wall	11,56,915.00
5c	Main Gate with Guard Room	17,42,677.00
5d	Plateform Type 1	5,65,931.00
5e	Plateform 2	25,22,175.00
5f	Telescope Plateform	6,81,127.00
5g	Flag Hosting Plateform	1,56,422.00
5h	Fabricated Tree	5,35,681.00
5i	Horticulture	25,22,758.00
5j	Children's Play Area Furnishing	51,85,002.00
5k	Irrigation	6,44,101.00
5l	External Electrification	49,35,367.00

5m	CCTV	19,96,486.00
5n	Open Air Theater	17,10,751.00
6	Furniture (Building)	16,24,432.00
	Total Cost	9,03,65,781.00
7	Add GST @ 18%	1,62,65,841.00
8	Total Amount with GST	10,66,31,622.00
9	Add Labour Cess @ 1%	10,66,316.00
10	Add JSBCCL Charge	63,25,605.00
11	Grand Total	11,40,23,543.00
	Say	**11,40,24,000.00**
(रू0 ग्यारह करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार) मात्र		

अतः उक्त के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका के परिसर में जिला विज्ञान केन्द्र, दुमका के निर्माण कार्य के लिए कुल प्राक्कलित राशि रू0 11,40,24,000/– (रू0 ग्यारह करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क). राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघुशीर्ष–004–अनुसंधान /उपशीर्ष–41–झारखंड कौंसिल ऑन साईस एंड टेक्नोलॉजी, रॉची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– **43S22030000441010679**)

   (ख). राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघुशीर्ष–796–जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–41–झारखंड कौंसिल ऑन साईस एंड टेक्नोलॉजी, रॉची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– **43S22030079641010679**)

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं परिषद् के PL खाते में संधारित राशि से आवश्यकतानुसार निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।

4. यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेगे।

5. स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में निष्पादित की जायेगी तथा कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से 11 माह होगी साथ ही कार्य पूर्ण करने के पश्चात एक माह के अन्दर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

6. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।

9. निदेशक, NCSM, कोलकाता का पत्रांक 313 दिनांक 31.05.2024 द्वारा आठ जिला विज्ञान केन्द्रों में वैज्ञानिक प्रदर्श संबंधी प्राक्कलन विस्तृत विवरणी के साथ उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुसार जिला विज्ञान केन्द्र, दुमका की निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात केन्द्र में स्थापित की जानेवाली मुख्य वैज्ञानिक प्रदर्शों की विवरणी निम्नवत् होगी –

   A. Fun Science Gallery - Acrobatic Stick, All Road Lead to Rome, Anamorphosis, Area of a Circle, Brahma's Disc, etc.
   B. Science Park-Action and Reaction, Cone runs uphill, Lift yourself, Swing in a pendulum, Turn faster, Check your weight, etc.
   C. Telescope,
   D. Innovation Hub

10. कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता आदि के संबंध में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के द्वारा की जायेगी एवं प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जायगी।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
12. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
16. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0/कौ0 –15/2024 /रॉची, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0/कौ0 –15/2024 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0/कौ0 –15/2024/09/योजना /रॉची, दिनांकः– 23.07.2024

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/उपायुक्त, दुमका/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता/अंचल अधिकारी, दुमका/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.24
सरकार के प्रधान सचिव